संख्या ए–1– 474 /दस–2012–10(38)/2011

प्रेषक,

डा0 बी0एम0 जोशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (लेखा) अनुभाग–1

लखनऊ : दिनांक : 22 अगस्त, 2012

विषयः– अनावर्ती सहायक अनुदानों के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

महालेखाकार कार्यालय द्वारा यह अवगत कराया गया है कि अनावर्ती सहायक अनुदानों के सपेक्ष नियंत्रक अधिकारियों द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध न कराये जाने के फलस्वरूप असमायोजित अनावर्ती सहायक अनुदानों की संख्या एवं राशि प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी शासनादेश संख्या–ए–1–435/दस–2011–10(38)/2011, दिनांक 25–10–2011 एवं शासनादेश संख्या–ए–1–211/दस–2012–10(38)/2011, दिनांक 23 अप्रैल, 2012 द्वारा आवश्यक आदेश उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजने हेतु निर्गत किए जा चुके हैं, परन्तु इसके उपरान्त भी अनावर्ती सहायक अनुदान की काफी अधिक संख्या एवं धनराशि अभी उपयोगिता प्रमाण–पत्र के अभाव में असमायोजित पड़ी है।

2– अतः आपसे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने अधीनस्थ नियंत्रण अधिकारियों को यह निर्देशित करने का कष्ट करें कि जब वे वित्तीय वर्ष 2012–13 के प्रथम त्रैमासिक प्राप्ति एवं व्यय के आंकड़ों का लेखा मिलान वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2 के पत्र संख्या–बी–2–655/दस–2012–आर–2/011, दिनांक 17–7–2012 के अनुसार महालेखाकार

कार्यालय से करायेंगे तो अपने साथ वर्ष 2005–06 से 2011–12 तक स्वीकृत किये गये अनावर्ती सहायता अनुदानों के सापेक्ष उनके उपयोगिता प्रमाण–पत्र भी साथ में भेजेगें ताकि उनका समायोजन सम्भव हो सके।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि अपने अधीनस्थ समस्त नियंत्रण अधिकारियों को यह भी निदेर्शित कर दें कि नियंत्रण अधिकारियों द्वारा समयानुसार उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करके समायोजन न कराने की स्थिति में वे स्वयं उत्तरदायी होंगें।

भवदीय,

डा0 बी0एम0 जोशी
सचिव, वित्त।

संख्या ए–1– 474(1)/दस–2012–10(38)/2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या–टी0एम0–11/ग्रुप–4/लेखा मिलान/एफ0–18/214–218, दिनांक 03–7–2012 के कम में।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

(3) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।

(4) वित्त विभाग के समस्त व्यय नियंत्रण अनुभाग

(5) वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2 को उनके पत्र संख्या–बी–2–654/दस–2012, दिनांक 20–07–2012 के कम में।

(6) निदेशक, एन.आई.सी. उ0प्र0, राज्य एकक योजना भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि इसे वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राजीव श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

301-S-G.O